संख्या- 104 /2025/309/2025-27-2002-292-2024 -2

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024 -25 में राज्य पोषित मद के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध के किमी0 14.500 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना एवं स्पर के डाउन स्ट्रीम में एजक्रेटिंग निर्माण एवं परक्यूपाईन लगाने के कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र संख्या-299/काप्रअ/अनिबामं /यू-10/बी-1प्र0, दिनांक 10-03-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं सूचना के आधार पर निम्न तालिका-अ में अंकित परियोजना से हो रही बचत कुल रू0 74.32 लाख (चालू श्रेणी) में से तालिका -ब में अंकित निम्नलिखित विवरण की एक अदद् चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएँ (रा0से0)-24- वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत रुपये 66,11,000.00 (रूपये छियासठ लाख ग्यारह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-अ बचत से उपलब्ध धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

0 सं0	परियोजना का नाम	स्थाई संचालन समिति का संदर्भ	परियोजना की लागत	31.03.2024 तक नेट आवंटन/व्यय	आय-व्ययक अनुमान 2024-25	वर्ष2024-25 में बजटके सापेक्ष आवंटन	वित्तीय वर्ष 2024-25 में परि0 को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि	बचत / अर्न्तविनियोजन के माध्यम से अन्य परियोजना पर प्रस्तावित धनराशि	बजट व्यवस्था के सापेक्ष बचत (6-7-8-9)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजना										
1	जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित मदरहवा अशोगवा बांध के किमी 7.690 पर स्थित स्पर नं0-03 की पुर्नस्थापना के कार्य की परियोजना।	57वीं बैठक दिनांक 19.12.2023 के क्रम सं0-40	147.70	30.00	118.16	43.84	0.00	0.00	74.32	वित्तीय वर्ष 2024-25 में परियोजना के कार्य पूर्ण होने के कारण अवशेष बजट की आवशयकता नही है। अतः कालम-10 की धनराशि बचत स्वरूप उपलब्ध है।
	योग		147.70	30.00	118.16	43.84	0.00	0.00	74.32	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका-ब बचत/अन्तर्विनियोजन के माध्यम से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि

संगठन /मण्डल / खण्ड	मु0 अभि0 (गण्डक) गोरखपुर / गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2, गोरखपुर / बाढ़ खण्ड, कुशीनगर										
(धनराशि लाख रू0 में)											
क्र सं	परियोजना का नाम	अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0 तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a)/गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध /पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन(a) / क्रमिक आवंटन (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2024-25	
										अनुदान सं0/ लेखाशीर्षक	अवमुक्त जाने वाली स्वीकृत धनराशि (बचत से)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाए											
1	जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के दायें तट पर स्थित अहिरौलीदान पिपराघाट तटबंध के कि मी0 14.500 पर स्थित स्पर के पुनर्स्थापना एवं स्पर के डाउन स्ट्रीम में एजक्रेटिंग निर्माण एवं परक्यूपाईन लगाने के कार्य की परियोजना। (Latitude:-6^{0}37'18.52" N Longitude:-^{0}22'43.09" E)	94-4711-01-103-09-84-24 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाए (नाबार्ड पोषित)	10.00	52/2024/384/2024/27-2002-14-2024-2, दिनांकः 09.03.2024 , 493/2024/1499/2024-27-2002-292-2024-2, दिनांकः 22.08.2024एवं 581/2024/1867/2024-27-2002-292-2024-2, दिनांक0 7.11.2024	592.86/ 478.16	570.16	22.70	504.05/ 504.05	66.11	94-4711-01-103-09-84-24	66.11

(रूपये छियासठ लाख ग्यारह हजार मात्र)

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों।

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(1) तालिका-ब में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद से अन्तर्विनियोजन कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(4) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद में अन्तर्विनियोजन प्रस्तावित किया जा रहा है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024- 25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103-सिविल निर्माण कार्य-09-कटाव निरोधक योजनाएँ-0984-नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (रा0से0)-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 66,11,000.00 (रूपये छियासठ लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4711011030984 नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएँ (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
(7) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0(बाढ़), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(11) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(13) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
आलोक कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।